

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -437/2023

अनवान : -

1. ओमप्रकाश पुत्र फरसाराम जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. फरसाराम पुत्र दानाराम जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर।
2. हिराराम पुत्र फरसाराम जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर।
3. सहीराम पुत्र फरसाराम जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर।
4. बुधराम पुत्र फरसाराम जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर।
5. तुलछाराम पुत्र फरसाराम जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर।
6. गुडी पुत्री फरसाराम जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर।
7. चन्द्रावली पुत्री फरसाराम जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर।
8. घोटा देवी पुत्री फरसाराम जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर।
9. अनकोरी पुत्री फरसाराम जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर।
10. निर्मला देवी पुत्री फरसाराम जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर।
11. रानी पुत्री फरसाराम जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :- श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी
श्री मांगीराम बैनीवाल अधिवक्ता प्रतिवादी
निर्णय दिनांक: 12/6/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 96/94 की कुल 12.394 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि हिन्दु मुश्तरका खानदान की जददी जायदाद है जो कि वादी के दादा दानाराम की नौतोड़ कर्ता भूमि है चूंकी प्रतिवादी स0 1 कर्ता खानदान होने के कारण वाद भूमि अकेले के नाम अनुचित तरीके से दर्ज करवा ली जबकि वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी स0 2 व 11 का प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है।

वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य वाद भूमि बाबत बाहमी बंटवारानामा हो चुका है जिसके मुताबिक प्रतिवादीया स0 6 ता 11 ने वादी व प्रतिवादी स0 2 ता 5 के पक्ष में अपना जो भी हक हिस्सा है उसका परित्याग कर दिया हैं बाहमी राजीनामा के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 वाद भूमि के बहिब के संयुक्त तौर से खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी स0 1 का नाम

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)



राजस्व रिकार्ड से कलमजन करवा कर उपरोक्तानुसार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है वादी उपरोक्त आशयों की घोषणा करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स० 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स० 1 ता 11 ने उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स० 1 ता 11 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स० 96/94 की कुल 12.394 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स० 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं० 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स० 1 ता 11 द्वारा इकबाल जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स० 1 ता 11 को कोई एतराज नहीं है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादीगण स० 1 ता 11 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स० 96/94 की कुल 12.394 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स० 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स० 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण स० 2 ता 5 को बहिब के खातेदार काशतकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा

उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक...12.6.23...को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-लाखासर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या –437 / 2023

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र फरसाराण जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. फरसाराण पुत्र दानाराम जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर।
2. हिराराम पुत्र फरसाराण जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर।
3. सहीराम पुत्र फरसाराण जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर।
4. बुधराम पुत्र फरसाराण जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर।
5. तुलछाराम पुत्र फरसाराण जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर।
6. गुडी पुत्री फरसाराण जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर।
7. चन्द्रावली पुत्री फरसाराण जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर।
8. घोटा देवी पुत्री फरसाराण जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर।
9. अनकोरी पुत्री फरसाराण जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर।
10. निर्मला देवी पुत्री फरसाराण जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर।
11. रानी पुत्री फरसाराण जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 437 सन 2023 निर्णय दिनांक 12.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की आपसी सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स० 96/94 की कुल 12.394 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स० 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स० 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण स० 2 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

कैम्प कोर्ट–लाखासर